१-११x

स्पीड-पोस्ट

संख्या डी.-31016/6/2005-सामान्य
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001, दिनॉक 25/10/2011

सेवा में,

सूची अनुसार

विषय:- इस मंत्रालय के वेस्ट पेपर, पुराने अखबार इत्यादि बेचने हेतु ।

महोदय,

इस मंत्रालय के सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली, आर.के.पुरम, वेस्ट ब्लाक-8, विंग-6, नई दिल्ली कार्यालयों में एक वर्ष की अवधि दिनॉक 01.12.11 से 30.11.12 तक के लिए निम्नलिखित सामान बेचने के संदर्भ में आपको सील बन्द निविदा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है :-

1. वेस्ट पेपर
2. पुराने अखबार (बिना कटिंग के)
3. पुराने अखबार (कटिंग सहित)
4. पुरानी किताब, मैगजीन इत्यादि
5. सडिल्यू
6. कम्प्यूटर सीट

2. मंत्रालय के वेस्ट पेपर पुराने अखबार इत्यादि बेचने हेतु वार्षिक आधार पर न्यूनतम एक-मुश्त राशि रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख) निर्धारित की गई है । उपर्युक्त वेस्ट पेपर इत्यादि वार्षिक आधार पर, कुल एक-मुश्त राशि पर बेची जाएँगी । आप उक्त सामान खरीदने के लिए निविदा में एक-मुश्त राशि लिखें । जोकि तिमाही आधार पर ली जाएगी तथा रू0 20000/- (रू0 बीस हजार मात्र) की राशि जमानत राशि के रूप में जमा कराई जाएगी । जोकि अंतिम भुगतान में समायोजित कर ली जाएगी । आप उपर्युक्त सामान के संदर्भ में निरीक्षण व जानकारी प्राप्ति के लिए वैयक्तिक रूप से निविदा देने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस वाले दिन केयर टेकर, से सम्पर्क कर सकते हैं ।

3. कूड़ेदान से वेस्ट पेपर इत्यादि की छंटनी के उपरान्त अन्य सभी प्रकार के कूड़े (सूखे पत्ते इत्यादि) को प्रतिदिन फैकने व सफाई करना अनिवार्य होगा । कूड़ेदान में किसी भी तरह की गंदगी नहीं पाई जानी चाहिए । उक्त की अवेहलना करने पर आपको आबंटित कार्य किसी भी समय रद्द किया जा सकता है तथा आपके द्वारा जमा कराई गई एक-मुश्त राशि वापिस नहीं की जाएगी ।

4. निविदा अद्योहस्ताक्षरी के नाम दिनॉक 25.11.11 तक अपराह्न 3 बजे तक इस मंत्रालय के स्वागत कक्ष के बाहर रखे गए निविदा बाक्स मे डाली जा सकती हैं । तदोपरान्त प्राप्त होने वाली कोटेशन मान्य नहीं होगीं । निविदाएं उसी दिन कमरा न0 201, द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन में अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएँगी । आप स्वंय या आपके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं ।

5. निविदा के साथ रू0 20000/- (रू0 बीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम का संलग्न करना अनिवार्य है । बिना ड्राफ्ट के निविदा मान्य नहीं होगी ।

6. सफल निविदा की कम्पनी को एक मुश्त राशि का ड्राफ्ट, तिमाही आधार पर इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम का 'तीन दिन' के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा । मंजूर राशि किस्तो में नहीं ली जाएगी । यदि आप एक-मुश्त राशि का ड्राफ्ट , तिमाही आधार जमा कराने में असफल रहते हैं या कार्य करने से इन्कार करते हैं तो आपके द्वारा निविदा के साथ दिया गया रू0 20000/- (रू0 बीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट जब्त कर लिया जाएगा ।

7. इस मंत्रालय को बिना कारण बतायें किसी भी कोटेशंन को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(के आर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 23747929

प्रतिलिपि :-

संगणक केन्द्र मंत्रालय के वेबसाइड में डालने हेतु ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. उप महा निदेशक, एस.एस.डी., आर.के.पुरम ।
2. उप महा निदेशक, ई.एस.डी., जीवन प्रकाश बिल्डिंग ।